न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 107/2006 दायरा दिनांक :—14.06.2006 निर्णय दिनांक :— 23.03.2021

1. लखमीचन्द पुत्र सोनिया (मृतक)
   1/1 शीशराम
   1/2 इन्द्राज सिंह
   1/3 श्रीभगवान पुत्रान लखमीचन्द
   1/4 कविता
   1/5 सुमन पुत्रीयान लखमीचन्द
   1/6 विधा देवी पत्नी स्व0 श्री लखमीचन्द जाति अहीर नि0 गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. रामदेवा पुत्र हरदेवा (मृतक)
   1/1 सत्यनारायण
   1/2 ओमप्रकाश
   1/3 रतनलाल
   1/4 रामावतार पुत्रान रामदेवा
   1/5 रामकला
   1/6 रोशनी पुत्रीयान रामदेवा जाति अहीर नि0 गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. रामस्वरूप पुत्र हरदेवा (मृतक)
   2/1 रामानन्द
   2/2 राधेश्याम
   2/3 धर्मचन्द
   2/4 अजीत पुत्रान रामस्वरूप
   2/5 बाला
   2/6 प्रेम
   2/7 सनिता
   2/8 मुकेश
   2/9 मिन्टू पुत्रीयान रामस्वरूप
   2/10 संतरा पत्नी रामस्वरूप जातियान अहीर नि0 गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
3. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
4. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दारूहेडा (हरियाणा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:47 IST
Reason: SelfAttested

..........प्रतिवादीगण

४५६
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री रणवीर सिंह यादव– वकील वादीगण

–:निर्णय:–

दिनांक :– 23.03.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आराजी हाल ख0न0 962/0.09 है0 वाके ग्राम गादूवास मे स्थित होकर वादी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जो साबिक ख0न0 643 में व 644 मिन से पैमूद हुआ है। विवादित आराजी वादी एवम वादी के ताउ की पैतृक आराजी है जिसको पूर्व मे दोनो काबिज काश्तकार रहे है एवम वादी का ताउ मंगलिया पुत्र झूथरिया लावल्द फौत हो गया और उसका वारिस तन्हा वादी रहा जो विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। वह आज भी मौके पर काबिज काश्तकार है। भौतिक कब्जे में वादी ही है। भूप्रबंध विभाग ने साबिक ख0न0 643, 644 मिन का नया हाल ख0न0 962 पैमूद कर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि एक खातेदार की आराजी गैर वास्ता गैर काबिज व्यक्ति के नाम का इन्द्राज कर सके। प्रतिवादीगण गैर काबिज गैर वास्ता आराजी है। सिर्फ कागजात माल में उनको खातेदार दर्ज गैर कानूनी तौर पर कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने बैंक से ऋण मिनवादी के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी पर उठा लिया जो नापाक लाभ उठाया है जिसकी जिम्मेवारी प्रतिवादी संख्या 1 पर रहेगी। इस प्रकार मिनवादी को आराजी मुतनाजा पर गलत इन्द्राज रहने से अपने अधिकारों से महरूम रहना पड रहा है व अधिकारों पर कुठाराघात होता है जिसे दुरूस्त कराकर खातेदारी की घोषणा कराने एवम प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम को कलमजन कराकर अपने नाम का इन्द्राज कराने का मुश्तहक है। आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इजराय इश्तकरारहक इस हमर की फरमाई जावे कि विवादित आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम का अंकन किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब दावा [illegible] वादी के वाद को अस्वीकार करते हुये प्रतिवादी के जवाब का सारतः रहा कि [illegible] 643 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हरदेवा व ताउ यादराम पुत्र [illegible] की कब्जेका[illegible] खातेदारी की आराजी है जिस पर हम काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा [illegible] मौके पर काबिज है। उक्त आराजी सही तौर पर हम प्रतिवा[illegible] है। हमारे बुजुर्गो से प्राप्त आराजी है जिस पर वादी का कोई अधिकार नहीं। वादी को अ[illegible] रिकॉर्ड की जानकारी पहले से ही है। दिनांक 20.12.2004 की बात झूठी व मनगढंत है। आदि–आदि अकित करते हुये वाद वादी मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की फौतगी उपरांत वारिसान प्रतिवादीगण वाद विधिवत तलबी उपरांत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर)

उपस्थित नहीं होने की स्थिति में वारिसान प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में रिकॉर्डेड साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 व 2 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2021 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2060–63 पेश की एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र लख्मीचंद पीडब्ल्यू–1, शीशराम पीडब्ल्यू–2 एवम तेजपाल पी डब्ल्यू–3 पेश किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक वादी अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर पाने में असफल रहा है। इस प्रकार वादी के वाद को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है। चूंकि उक्त पत्रावली के साथ दावा संख्या 72/12 बअनुवानी रामदेव बनाम लख्मीचंद पूर्व में दौराने सुनवाई कन्सोलिडेट की जाकर एक साथ सुनवाई के आदेश जारी कर संलग्न रही है एवं उक्त वाद में रामदेव व रामस्वरूप प्रतिवादीगण रहे है जिनकी फौतगी उपरांत इनके वारिसान की बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्तानुसार कन्सोलिडेट बअनुवानी रामदेव बनाम लख्मीचंद पत्रावली को भी वारिसान की अनुपस्थिति की स्थिति में खारिज योग्य पाई जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में काबिल अस्वीकार पाया जाकर हाल ख0न0 962/0.09 है0 वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वादीगण के वाद को खारिज किया जाता है। चूंकि उक्त पत्रावली के साथ दावा संख्या 72/12 बअनुवानी रामदेव बनाम लख्मीचंद पूर्व में दौराने सुनवाई कन्सोलिडेट की जाकर एक साथ सुनवाई के आदेश जारी कर संलग्न रही है एवं उक्त वाद में रामदेव व रामस्वरूप प्रतिवादीगण रहे है जिनकी फौतगी उपरांत इनके वारिसान की बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्तानुसार कन्सोलिडेट बअनुवानी रामदेव बनाम लख्मीचंद पत्रावली को भी वारिसान की अनुपस्थिति की स्थिति में खारिज की जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat

Date: 2021.06.24 10:28:47 IST

Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 107/2006 दायरा दिनांक :–14.06.2006 निर्णय दिनांक :– 23.03.2021

1. लखमीचन्द पुत्र सोनिया (मृतक)
   1/1 शीशराम
   1/2 इन्द्राज सिंह
   1/3 श्रीभगवान पुत्रान लखमीचन्द
   1/4 कविता
   1/5 सुमन पुत्रीयान लखमीचन्द
   1/6 विधा देवी पत्नी स्व0 श्री लखमीचन्द जाति अहीर नि0 गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.........वादीगण

बनाम

1. रामदेवा पुत्र हरदेवा (मृतक)
   1/1 सत्यनारायण
   1/2 ओमप्रकाश
   1/3 रतनलाल
   1/4 रामावतार पुत्रान रामदेवा
   1/5 रामकला
   1/6 रोशनी पुत्रीयान रामदेवा जाति अहीर नि0 गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. रामस्वरूप पुत्र हरदेवा (मृतक)
   2/1 रामानन्द
   2/2 राधेश्याम
   2/3 धर्मचन्द
   2/4 अजीत पुत्रान रामस्वरूप
   2/5 बाला
   2/6 प्रेम
   2/7 सनिता
   2/8 मुकेश
   2/9 मिन्टू पुत्रीयान रामस्वरूप
   2/10 संतरा पत्नी रामस्वरूप जातियान अहीर नि0 गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
3. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
4. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक धारूहेडा (हरियाणा)

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:47 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 23.03.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

वादीगण के वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में काबिल अस्वीकार पाया जाकर हाल ख0न0 962/0.09 है0 वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वादीगण के वाद को खारिज किया जाता है। चूंकि उक्त पत्रावली के साथ दावा संख्या 72/12 बअनुवानी रामदेव बनाम लख्मीचंद पूर्व में दौराने सुनवाई कन्सोलिडेट की जाकर एक साथ सुनवाई के आदेश जारी कर संलग्न रही है एवं उक्त वाद में रामदेव व रामस्वरूप प्रतिवादीगण रहे है जिनकी फौतगी उपरांत इनके वारिसान की बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्तानुसार कन्सोलिडेट बअनुवानी रामदेव बनाम लख्मीचंद पत्रावली को भी वारिसान की अनुपस्थिति की स्थिति में खारिज की जाती है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:47 IST
Reason: SelfAttested